अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा
RMA No- 19/ 2013-14

1/12/2022

अपीलकर्त्ता- लुसीफ मुर्मू वगै0

बनाम

उत्तरवादी- महालाल मरण्डी वगै0

-: आदेश :-

उभय पक्ष के विद्वन अधिवक्ता को सुना गया। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्त्तमान अपीलवाद विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय में निष्पादित म्यूटेशन अपील नं0-02/2002-03 सोनालाल मुर्मू वगैरह बनाम् महालाल मरांडी वगै0 में दिनांक-13.02.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्ता द्वारा यह वाद श्रीमान् उपायुक्त महोदय गोड्डा के न्यायालय में दायर किया गया था जिसे दिनांक-31.10.2013 को हस्तांतरण के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में निष्पादन हेतु प्राप्त हुआ।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा-अमरपुर, नं0-534 जमाबंदी नं0-162, कुल रकवा- 06-18-01 धूर जमीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोड्डा के मुटेशन केस नं0-56/1963-64 के आदेश दिनांक-05.07.1965 के द्वारा अपीलकर्त्तागण के पिता के नाम से नामांतरण किया गया था उसके बाद अपीलकर्त्ता शांतिपूण ढंग से जमीन का जोत आवाद करते थे एवं सरकार को सालाना मालगुजारी का भुगतान करते थे। लेकिन उत्तरवादीगण ने अंचल अधिकारी, गोड्डा के समक्ष उक्त जमीन का नामांतरण के लिए आवेदन दाखिल किया अंचल अधिकारी, गोड्डा ने अपीलकर्त्तागण के द्वारा किये गये नामांतरण वाद को रद्द किया एवं उत्तरवादीगण के नाम से उक्त जमीन का नामांतरण किया। उक्त मुटेशन के विरूद्ध अपीलकर्त्तागण के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गोड्डा के न्यायालय में मुटेशन अपील नं0-02/ 2002-03 दायर किया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा ने अपने आदेश दिनांक-13.02.2013 के द्वारा अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज कर दिया गया। परन्तु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गोड्डा ने अपीलकर्त्तागण की ओर से प्रस्तुत किये गये कागजातों का सही ढंग से अवलोकन नही किया। इसलिए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के द्वारा पारित आदेश नियमसंगत नही है। उन्होंने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गोड्डा के द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए वर्त्तामान अपील आवेदन स्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

अपीलकर्त्तागण के द्वारा अपील आवेदन के साथ अपील के काल अवधि को क्षांत करने के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा-5 के तहत आवेदन दाखिल किया है इसके आलोक में विपक्षी को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिश निर्गत किया गया है।

प्रक्रिया चलने के दौरान अपीकर्त्ता सोनालाल मुर्मू की मृत्यु हो गयी है उनके स्थान पर लुसीफ मुर्मू एवं बोना मुर्मू को प्रतिस्थानी पक्षकार बनाया गया। तथा उत्तरवादी की ओर से हेमलाल मरांडी की मृत्यु हो गयी है पर उनकी ओर से

किसी के द्वारा भी पक्षकार बनने हेतु आवेदन नही दिया है।

उत्तरवादी के विज्ञान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा-अमरपुर, नं0-534 जमाबंदी नं0-162, कुल रकवा- 06-18-01 धूर जमीन रमका टुडू के नाम से दर्ज है। रमका टुडू को एक बहन रैमत टुडू थी जिनकी शादी अमरपुर के श्रीराम मरांडी के साथ हुई थी। श्रीराम मरांडी एवं रैमत टुडू से एक पुत्र धसिया मरांडी हुए। धसिया मरांडी अपने पीछे एक पुत्र छोटो मरांडी को छोड़कर फौत कर गये। उत्तरवादीगण छोटो मरांडी के वंशज है। चूँकि रमका टुडू को कोई औलाद नही था। इसलिए उन्होंने अपना सेवा सुसरवा (देख-भाल) के लिए अपना भैगना घसिया मरांडी को रख लिया था। घसिया मरांडी ही अपने मामा रमका टुडू का देख-भाल किया करते थे एवं खेती-बाड़ी में उनका मदद किया करते थें उन्होंने अपने जीवन काल में ही पारिवारिक समझौता के अनुसार कागज तैयार कर अपनी सम्पूर्ण जमीन घसिया मरांडी के नाम कर दिया था। इस प्रकार घसिया मरांडी उनके सम्पूर्ण जमीन का दखलकार हुए। घसिया मरांडी के बाद उनके पूत्र छोटो मरांडी दखलकार हुए। छोटो मरांडी की मृत्यु के बाद उत्तरवादीगण उक्त भूमि पर दखलकार हुए। लेकिन उभय पक्षों के बीच एक फौजदारी मामला हुआ था जिसके दौरान उत्तरवादीगण को यह मालुम हुआ कि अपीलकर्त्तागण गलत तरीके से उक्त जमाबंदी की जमीन पर दावा कर रहे है। इसके पश्चात् उत्तरवादी के पूर्वज छोटो मरांडी के द्वारा टाईटल सूट वाद दायर किया गया। जिसमें उत्तरवादी के पक्ष में डीग्री प्रदान किया गया। उक्त डिग्री होने के उपरांत उत्तरवादीगण उक्त जमीन पर स्वत्व कायम होने के कारण ही अंचल अधिकारी, गोड्डा के द्वारा उत्तरवादी के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया गया था जिसके विरूद्ध अपीलकर्त्ता ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में अपीलवाद दायर किया था। चूँकि उक्त भूमि पर उत्तरवादी के पक्ष में स्वामित्व का डिग्री सक्षम न्यायालय के द्वारा दिया गया था इसलिए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गोड्डा ने अंचल अधिकारी, गोड्डा के नामांतरण वाद संख्या- 01/2000-01 में दिनांक-14.08.2000 को पारित आदेश को सही मानते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया है। इस प्रकार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नही है। इसलिए अपीलकर्त्ता का आवेदन खारिज करने योग्य है। अतः भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के द्वारा पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपीलकर्त्तागण के अपील को खारिज करने का अनुरोध किया है।

उभय पक्षों के विद्धान अधिवक्ताओं के बहस सुनने एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्तागण के द्वारा स्पष्ट नही किया गया है कि विषयगत जमीन उन्हें किस आधार पर प्राप्त है। जबकि स्वत्व वाद संख्या-29/1996 में पारित आदेश एवं टाईटल अपील नं0-01/1999 में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पारित आदेश दिनांक-31.03.2003 से यह स्पष्ट होता है कि उत्तरवादी का उक्त जमीन पर स्वामित्व है। ऐसी स्थिति में भूमि सुधार उप

अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा

RMA No- 19/ 2013-14

समाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय का मुटेशन केस नं0-02/2002-03 (सोनालाल मुर्मू वगै बनाम् महालाल मरांडी वगै0 में दिनांक-13.02.2013 को पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है। इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नही होता है।

अत: भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा द्वारा मयुटेशन अपील मुटेशन केस नं0-02/2002-03 (सोनालाल मुर्मू वगै0 बनाम् महालाल मरांडी वगै0 में दिनांक-13.02.2013 को पारित आदेश को बरकरार रखते हुए वर्त्तमान अपीलवाद खारिज किया जाता है असंतुष्ट पक्षकार सक्षम न्यायालय जा सकते है।

लेखापित एवं संशोधित।

14.12.2022

अपर समाहर्त्ता,
गोड्डा।

14.12.2022

अपर समाहर्त्ता,
गोड्डा।

Digitally signed by SMITA TOPPO
Date: 2023.05.20 15:12:47 +05:30
Location: 192.168.1.9